न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 147 / 2019

सुरस्वती उर्फ सुरीया देवी उर्फ सुरैया देवी पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री राकेश सिहाग अधिवक्ता (प्रार्थी)

2 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक : 19.2.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया का नाम सुरस्वती है जो कि सही नाम है व प्रार्थीया के आवश्यक दस्तावेजात में भी प्रार्थीया का नाम सुरस्वती अंकित है परन्तु जमाबंदी 10 एस डी पी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 19/2 एवं चक 24 एस डी एस जमाबदी समवत 2068–2074 खाता संख्या 5/5 में प्रार्थीया का नाम सुरीया देवी पत्नी पृथ्वीराज अंकित है जिससे प्रार्थीया को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीया की कृषि भूमि चक 10 एस डी पी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 19/2 पन. 23/168 मु.न. 10 कि.न. 1, 2/1,2/2, 3 ता 8, 9/1, 9/2, 10,11,12/1,12/2, 13 ता 18,19/1,19/2,20 ता 25 में 5.704 है. नहरी बारानी मय खाला आराजी में से प्रार्थीया के नाम 0.951 है. व चक 24 एस डी एस जमाबदी सम्वत 2068–2071 खाता सख्या 5/5 प.न. 3/161 मु.न. 35 कि.न. 7 ता 9 में 0.759 है. आराजी में से प्रार्थीया के नाम 0.126 है. आराजी दर्ज कागजात है । उक्त आराजी में प्रार्थीया का नाम सुरीया देवी पत्नी पृथ्वीराज व सुरैया देवी पत्नी पृथ्वीराज है जबकि सही नाम सुरस्वती पत्नी पृथ्वीराज दर्ज होना चाहिये। नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है।प्रार्थीया के दस्तावेजात मे प्रार्थीया का नाम सुरस्वती पत्नी पृथ्वीराज ही दर्ज है जबकि जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम गलत दर्ज हो गये है जबकि प्रार्थीया एक ही औरत है। सुर्या देवी , सुरैया देवी व सुरस्वती अलग अलग औरत नही है चूंकि प्रार्थीया गांव की रहने वाली अनपढ औरत है एव प्रार्थीया के नाम आराजी विरासतन दर्ज हुयी है जो कि पटवारी हल्का द्वारा अंकन गलत दर्ज कर दिया गया है एव प्रार्थीया को उक्त कानूनी पेचिदगीयों का ईल्म नही था, प्रार्थीया का सही सुरस्वती है इस सम्बध मे ग्राम पंचायत की रिपोर्ट पेश की जा रही है। ग्राम पंचायत लालगढ द्वारा प्रार्थीया का नाम सुरस्वती होने के सम्बध में प्रमाण पत्र जारी किया गया है । प्रार्थीया के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, मे भी प्रार्थीया का नाम सुरस्वती दर्ज है। फोटो प्रति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत लालगढ, आधार कार्ड,, वोटर कार्ड, राशन कार्ड संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड मे सुरीया देवी व सुरैया देवी अलग दर्ज रहने के कारण प्रार्थीया को पानी की बारी , रकम अदायगी, बैंक ऋण,

उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने मे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थीया अपने नाम दर्ज 10 एस डी पी खाता संख्या 19/2 व चक 24 एस डी एस के खाता संख्या 5/5 में प्रार्थीया का नाम "सुरीया देवी पत्नी पृथ्वीराज व सुरैया देवी पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट निवासी लालगढ " के स्थान पर " सुरस्वती देवी पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट निवासी लालगढ जाटान " दर्ज करवाने की कानूनन हक अधिकारी है। जिसे न्यायहित में दरूस्त किया जाना आवश्यक है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के नाम दर्ज चक 10 एस डी पी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 19/2 पन. 23/168 मु.न. 10 कि.न. 1, 2/1,2/2, 3 ता 8, 9/1, 9/2, 10,11,12/1,12/2, 13 ता 18,19/1,19/2,20 ता 25 में 5.704 है. नहरी बारानी मय खाला आराजी में से प्रार्थीया के नाम दर्ज 0.951 है. आराजी में प्रार्थीया का नाम "सुरीया देवी पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट" व चक 24 एस डी एस जमाबदी सम्वत 2068–2071 खाता सख्या 5/5 प.न. 3/161 मु.न. 35 कि.न. 7 ता 9 में 0.759 है. आराजी में से प्रार्थीया के नाम दर्ज 0.126 है. आराजी में प्रार्थीया का नाम "सुरैया देवी पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट " के स्थान पर " सुरस्वती पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट निवासी लालगढ जाटान " दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ एव प्रार्थीया के पुत्र नरेश कुमार की ओर से शपथ पत्र पेश हुआ जो कि प्रार्थीया के साथ सहखातेदार है एव आराजी विरासतन दर्ज होने के सम्बध में अपनी साक्ष्य पेश की है एव प्रार्थीया का नाम दुरूस्त किये जाने हेतू निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के नाम दर्ज आराजी प्रार्थी के नाम से विरासतन दर्ज हुयी है व प्रार्थी का प्रचलित नाम व रिकॉर्ड में नाम भिन्न भिन्न है। प्राप्त रिपोर्ट पर मौतबिरान व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये है एव प्रार्थी के नाम के सम्बध में ग्राम पंचायत द्वारा भी अपनी रिपोर्ट पेश की है, व प्रार्थी के पुत्र ने अपना शपथ पत्र पेश किया है जो कि सहखातेदार है, जो कि प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्रों के नाम आराजी ब.हि.ब. दर्ज है, जिसके सम्बध में कोई विरोध नही है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है एव तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– प्रार्थीया के नाम दर्ज चक 10 एस डी पी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 19/2 पन. 23/168 मु.न. 10 कि.न. 1, 2/1,2/2, 3 ता 8, 9/1, 9/2, 10,11,12/1,12/2, 13 ता 18,19/1,19/2,20 ता 25 में 5.704 है. नहरी बारानी मय खाला आराजी में से प्रार्थीया के नाम दर्ज 0.951 है. आराजी में प्रार्थीया का नाम "सुरीया देवी पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट" व चक 24 एस डी एस जमाबदी सम्वत 2068–2071 खाता सख्या 5/5 प.न. 3/161 मु.न. 35 कि.न.

उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

7 ता 9 में 0.759 है. आराजी में से प्रार्थीया के नाम दर्ज 0.126 है. आराजी में प्रार्थीया का नाम "सुरैया देवी पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट " के स्थान पर दोनों चकों की आराजी में प्रार्थीया का नाम " सुरस्वती पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट निवासी लालगढ जाटान " दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.2.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.17 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: